

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 64/2022

GCMS Case No. 2022/198

सायल :-

बनाम

गैरसायल:-

सरकार जरिये जिला पुलिस  
अधीक्षक पाली

प्रेमराम उर्फ प्रेम पुत्र मिश्रीलाल जाति सिरवी  
निवासी गिरादडा हाल रूपावास रोड मण्डिया  
थाना सदर पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।



:: निर्णय ::

दिनांक :- 10.6.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 01.09.2022 को गैरसायल प्रेमराम उर्फ प्रेम पुत्र मिश्रीलाल जाति सिरवी निवासी गिरादडा हाल रूपावास रोड मण्डिया थाना सदर पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सदर पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2014 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें से 6 प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, एक प्रकरण में दोषमुक्त एवं 4 प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट नम्बर/दिनांक	नाम न्यायालय निर्णय
1	74/27.03.2014	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	50/25.04.2014	दिनांक 25.11.2020 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 800 रुपये जुर्माना
2	88/16.05.2015	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	48/25.05.2015	दिनांक 14.01.2022 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 400 रुपये जुर्माना
3	175/02.10.2015	धारा 447, 427, 323, 336/34 भादस	124/31.10.2015	दोषमुक्त
4	96/27.07.2016	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	62/08.09.2016	दिनांक 10.12.2020 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 600 रुपये जुर्माना
5	10/14.07.2016	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	20/17.11.2016	जुर्माना 100 रुपये
6	04/16.05.2017	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	07/11.10.2017	जैर ट्रायल
7	29/17.09.2018	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	जैर अनुसंधान	जैर ट्रायल
8	86/26.04.2018	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	49/22.05.2019	दिनांक 02.12.2020 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 300 रुपये जुर्माना

*(Signature)*

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पाली

9	13/07.01.2019	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	03/13.01.2019	जैर ट्रायल
10	226/11.10.2019	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	146/23.10.2019	दिनांक 08.09.2020 को एसीजेएम पाली से 300 रुपये जुर्माना
11	68/07.04.2020	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	62/30.06.2020	जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल प्रेमराम उर्फ प्रेम पुत्र मिश्रीलाल जाति सिरवी निवासी गिरादडा हाल रूपावास रोड मण्डिया थाना सदर पाली निरन्तर शराब तस्करी प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली में मुकदमा नम्बर 04/2017, 68/2020 अन्तर्गत धारा 19/54 आब. अधिनियम वर्तमान में जैर ट्रायल है। माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली के मुकदमा नम्बर 74/2014 में दिनांक 25.11.2020 को आदेश पारित करते हुए 5 धारा 19/54 आब. अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम कोर्ट पाली ने मुकदमा नम्बर 88/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2022, मुकदमा नम्बर 96/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.12.2020, मुकदमा नम्बर 10/2016, मुकदमा नम्बर 86/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2020 तथा मुकदमा नम्बर 226/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 के द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

*Lu*

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली



पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल प्रेमराम उर्फ प्रेम पुत्र मिश्रीलाल जाति सिरवी निवासी गिरादडा हाल रूपावास रोड मण्डिया थाना सदर पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(ख)(3) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना सदर ब्यावर जिला ब्यावर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 25.06.2024 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना सदर ब्यावर जिला ब्यावर में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में बारह बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर ब्यावर जिला ब्यावर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल प्रेमराम उर्फ प्रेम पुत्र मिश्रीलाल इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली गैरसायल प्रेमराम उर्फ प्रेम पुत्र मिश्रीलाल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना सदर ब्यावर जिला ब्यावर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर ब्यावर जिला ब्यावर उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सदर पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर ब्यावर जिला ब्यावर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।



निर्णय आज दिनांक 10/6/2024  
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Luck*  
(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

*Luck*  
(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली